अध्याय-16

प्रकीर्ण

Chapter-XVI

Miscellaneous

111. सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण— (1) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने अधिकारियों, कार्मिकों और सदस्यों के लिए सोसाइटी की आधारभूत आवश्यकताओं से संबंधित सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण की व्यवस्था करे, और इस प्रयोजन के लिए वह अपने बजट में पर्याप्त व्यवस्था करेगी।

(2) रजिस्ट्रार, परिसंघीय निकायों, यदि कोई हों, तथा राजस्थान राज्य सहकारी संघ के साथ समन्वय करके, राज्य की विभिन्न सहकारी सोसाइटियों के लिए सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कार्य योजना तैयार करेगा। रजिस्ट्रार, ऐसी योजना को राज्य के सहकारी संघ या ऐसी किसी शिक्षा और प्रशिक्षण संस्था के माध्यम से कार्यान्वित करेगा जिसके पास ऐसी योजना कार्यान्वित करने के लिए विशेषज्ञता/संसाधन हों।

111. Co-operative education and training.— (1) It shall be the duty of each co-operative society to arrange co-operative education and training relating to basic needs of the institution, for its officers, personnel and members, and for this purpose it shall provide for sufficiently in its annual budget.

(2) The Registrar shall prepare working plan for co-operative education and training for various co-operative institutions of the State in coordination with federal bodies, if any, and the Rajasthan State Co-operative Union. The Registrar shall implement such plan through co-operative union of the State or any such education and training institution, which has expertise/resources for implementing such plan.

112. सदस्यों का दिवाला— दिवाले के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय राशि का स्थान उसके विरुद्ध दिवाले की कार्यवाहियों में, पूर्विकता क्रम में, उसके द्वारा सरकार को संदेय रकम के पश्चात् होगा।

112. Insolvency of members.— Notwithstanding anything contained in any law relating to insolvency for the time being in force, the dues of society from a member, in insolvency proceedings against him, shall rank in order of priority next to the dues payable by him to Government.

113. सदस्यों का पुस्तकें आदि देखने का अधिकार— (1) सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य, सोसाइटी के कार्यालय में, कार्य के लिए नियत समय में या सोसाइटी द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियत किसी समय पर, इस अधिनियम, नियमों और उपविधियों की प्रति, अंतिम लेखापरीक्षित वार्षिक तुलनपत्र, लाभ और हानि के लेखे, समिति के सदस्यों की सूची, सदस्यों के रजिस्टर, साधारण बैठकों के कार्यवृत्त, समिति की बैठकों के कार्यवृत्त और पुस्तकों और अभिलेखों के ऐसे भाग, जिनमें सोसाइटी के साथ उसके संव्यवहार अभिलिखित किये गये हों, का निःशुल्क निरीक्षण करने का हकदार होगा।

(2) सोसाइटी किसी सदस्य को उसका लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर और उसके लिए ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाये, उप-धारा (1) में उल्लिखिति किसी दस्तावेज की प्रति, ऐसी फीस के संदाय की तारीख से सात दिवस के भीतर-भीतर देगी।

113. Rights of members to see books, etc.— (1) Every member of a co-operative society shall be entitled to inspect, free of cost, at the society's office during office hours, or at any time fixed for the purpose by the society, copy of this Act, the rules and the bye-laws, the last audited annual balance sheet, the profit and loss account, the list of the members of the committee, the register of members, the minutes of general meetings, minutes of committee meetings, and those portions of the books and records in which his transactions with the society have been recorded.

(2) A society shall furnish to a member, on request in writing, and on payment of such fees as may be prescribed therefor, a copy of any of the documents mentioned in sub-section (1) within seven days from the date of payment of such fees.

114. सहकारी सोसाइटी की पुस्तकों में की गयी प्रविष्टियों का प्रमाण— (1) कोई सहकारी सोसाइटी उसके कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखे या अभिप्राप्त किये गये सोसाइटी के किसी भी दस्तावेज की या पुस्तकों में की किसी प्रविष्टि की प्रति दे सकेगी और ऐसी प्रति यदि ऐसी रीति

से, जो विहित की जाये, प्रमाणित हो तो किसी वाद या विधिक कार्यवाहियों में या किसी भी अन्य प्रयोजन में ऐसे दस्तावेज या प्रविष्टि के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखाओं के साक्ष्य के रूप में उसी रीति से और उसी सीमा तक ग्राह्य होगी, जिससे और जिस तक मूल दस्तावेज या प्रविष्टि स्वयं ग्राह्य है।

(2) सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी को और ऐसे किसी अधिकारी को, जिसके कार्यालय में समापन के पश्चात् सहकारी सोसाइटी की पुस्तकें जमा की जाती हैं, किसी भी विधिक कार्यवाही में, जिसमें सोसाइटी या समापक पक्षकार नहीं हैं, सोसाइटी की कोई भी पुस्तकें या दस्तावेज, जिनकी अन्तर्वस्तु इस धारा के अधीन साबित की जा सकती है, प्रस्तुत करने या उनमें अभिलिखित विषयों, संव्यवहारों और लेखाओं को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने के लिये न्यायालय, अधिकरण या मध्यस्थ द्वारा विशेष कारण के आधार पर किये गये आदेश के सिवाय, बाध्य नहीं किया जायेगा।

114. Proof of entries in co-operative society's books.— (1) A co-operative society may grant a copy of any document or any entry in a book of a co-operative society regularly kept or obtained in the course of its business and such copy, if certified in such manner as may be prescribed, be received in any suit or legal proceedings or for any other purpose as *prima facie* evidence of such document or entry and shall be admitted as evidence of the matters, transactions and accounts therein recorded in the same manner and to the same extent as the original entry itself is admissible.

(2) No officer of a co-operative society and no officer in whose office the books of a co-operative society are deposited after liquidation shall, in any legal proceeding to which the society or the Liquidator is not a party, be compelled to produce any of the society's books or documents the contents of which can be proved under this section, or to appear as a witness to prove the matters, transactions and accounts therein recorded, except under order of the court, the Tribunal or the Arbitrator made for special cause.

115. सिविल न्यायालय की शक्तियां— (1) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन कृत्यों का पालन करने में अधिकरण, रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या किसी विवाद का विनिश्चय करने वाले किसी व्यक्ति को और किसी सहकारी सोसाइटी के समापक को, वाद का विचारण करते समय, निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :-

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत देना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना।

(2) किसी शपथ पत्र की दशा में अधिकरण द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारी, रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या किसी विवाद का विनिश्चय करने वाला कोई व्यक्ति या, यथास्थिति, समापक, अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा।

(3) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सशक्त किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा या उसकी कुर्की के बिना विक्रय द्वारा किसी रकम की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय या ऐसी वसूली के लिए उसे किये गये किसी आवेदन पर कोई आदेश पारित करते समय या ऐसी वसूली की सहायतार्थ कोई कदम उठाते समय परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का केन्द्रीय अधिनियम 36) की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 136 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायेगा।

115. Powers of Civil Court.— (1) In performing the functions conferred on it by or under this Act, the Tribunal, the Registrar, the Arbitrator, or any other person deciding a dispute and the Liquidator of a co-operative society shall have all the powers of a civil court, while trying a suit, under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), in respect of the following matters, namely :—

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) proof of facts by affidavits; and

(d) issuing commissions for examination of witnesses.

(2) In the case of any affidavit, any officer appointed by the Tribunal, the Registrar, the Arbitrator, or any other person deciding a dispute or the Liquidator, as the case may be, in this behalf may administer the oath to the deponent.

(3) The Registrar or any person empowered by him shall be deemed, when

exercising any powers under this Act for the recovery of any amount by the attachment and sale or by sale without attachment of any property, or when passing any orders on any application made to him for such recovery or for taking a step-in-aid of such recovery, to be a civil court for the purposes of Article 136 of the First Schedule to the Limitation Act, 1963 (Central Act 36 of 1963).

116. रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना— रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई व्यक्ति, धारा 54 के अधीन किसी सोसाइटी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए, या धारा 55 के अधीन कोई जांच करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति और धारा 30 के अधीन प्रशासक के रूप में या धारा 60 के अधीन मध्यस्थ के रूप में या धारा 63 के अधीन समापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

116. Registrar and other officers to be public servants.— The Registrar, a person exercising the powers of the Registrar, a person authorised to audit the accounts of a society under section 54, or to hold an inquiry under section 55, and a person appointed as an Administrator under section 30, or as an Arbitrator under section 60, or as a Liquidator under section 63, shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

117. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन— (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी सिविल या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी:-

(क) किसी सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण या किसी उपविधि का संशोधन; और

(ख) किसी समिति को हटाना; और

(ग) किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन और विघटन से संबंधित या समापनाधीन किसी सोसाइटी के कारबार से संबंधित कोई भी मामला।

(2) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किये गये आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय को किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार के किसी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

117. Bar of Jurisdiction of Courts.— (1) Save as provided in this Act, no civil or revenue court shall have any jurisdiction in respect of,—

(a) the registration of a co-operative society or of an amendment of a bye-law;

(b) the removal of a committee; and

(c) any matter concerning the winding up and the dissolution of a co-operative society or concerning the business of a society under liquidation.

(2) Save as provided in this Act, no order, decision or award made under this Act shall be questioned in any court on any ground whatsoever.

118. विधि व्यवसायी के लिए वर्जन— तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी विधि व्यवसायी इस अधिनियम के अधीन, अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन या धारा 109 के अन्तर्गत किसी अपराध के अभियोजन के सिवाय किसी भी कार्यवाही में किसी भी पक्षकार की ओर से उपसंजात नहीं होगा।

118. Bar to Legal Practitioner.— Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no legal practitioner shall appear on behalf of any party in any proceeding, other than an appeal, a revision, a review or prosecution of an offence under section 109, under this Act.

119. अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील— इस अधिनियम के अधीन जारी किये गये प्रत्येक नोटिस या किये गये प्रत्येक आदेश की किसी व्यक्ति पर तामील, ऐसे व्यक्ति के आवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान का उचित रूप से पता लिखकर नोटिस या आदेश से युक्त एक पत्र, डाक व्यय की पूर्व अदायगी करके, रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजकर, या उसके अंतिम ज्ञात पते वाले क्षेत्र में व्यापक परिचालन वाले हिन्दी समाचार पत्र में ऐसे नोटिस या आदेश के प्रकाशन द्वारा की जा सकेगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता, ऐसी तामील, उस समय, जब ऐसा पत्र सामान्य अनुक्रम में परिदत्त हो जाता है या, यथास्थिति, समाचार पत्र में प्रकाशन की तारीख को, प्रभावी हुई समझी जायेगी।

119. Service of notice under the Act.— Every notice or order issued or made under this Act may be served on any person, by properly addressing it to the last known place of residence or business of such person prepaying and posting by registered post a letter containing the notice or order, or by publication of such notice or order in a Hindi newspaper having wide circulation in the area of his last known address and unless the contrary is proved, such service shall be deemed to have been effected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course or,

as the case may be, on the date of publication of the news paper.

120. सहकारी सोसाइटियों के कार्यों का कतिपय त्रुटियों के कारण अविधिमान्य नहीं होना— किसी भी सहकारी सोसाइटी या किसी भी समिति का या किसी भी अधिकारी का कोई कार्य केवल सोसाइटी या समिति के गठन में या किसी अधिकारी की नियुक्ति या निर्वाचन में किसी त्रुटि या विलम्ब की विद्यमानता के कारण से या, इस आधार पर कि ऐसा अधिकारी उसकी नियुक्ति के लिए निरर्हित था, अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा।

120. Acts of co-operative societies not to be invalidated by certain defects.— No act of a co-operative society or any committee or of any officer shall be deemed to be invalid by reason only of the existence of any defect or delay in the constitution of the society or the committee or in the appointment or election of an officer or on the ground that such officer was disqualified for his appointment.

121. संरक्षण— इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गयी या सद्भावपूर्वक की गयी तात्पर्यित किसी बात के संबंध में रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ या उसके प्राधिकार से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या कोई विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

121. Indemnity.— No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Registrar or any person subordinate to him or acting on his authority in respect of anything in good faith done or purporting to have been done in good faith under this Act.

122. कतिपय अधिनियमों का लागू न होना— (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 1) के उपबंध सहकारी सोसाइटियों पर लागू नहीं होंगे।

(2) राजस्थान कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 में या राज्य के किसी भी भाग में तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समान विधि में अंतर्विष्ट कोई बात सहकारी सोसाइटियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन दिये गये उधारों पर लागू नहीं होगी।

122. Certain Acts not to apply.— (1) The provisions of the Companies Act, 1956 (Central Act 1 of 1956), shall not apply to co-operative societies.

(2) Nothing contained in the Rajasthan Relief of Agricultural Indebtedness Act, 1957 or any corresponding law for the time being in force in any part of the State shall apply to loans advanced by co-operative societies under this Act.

123. नियम बनाने की शक्ति— (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने हेतु सम्पूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए और सहकारी सोसाइटियों के किसी भी वर्ग के लिए, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, नियम बना सकेगी:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी नियम, यदि राज्य सरकार का यह विचार हो कि उसे तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, पूर्व प्रकाशन के बिना भी बनाया जा सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

(i) वह रीति जिससे किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया जा सकेगा;

(ii) सोसाइटियों के वर्ग, रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनार्थ न्यूनतम शेयर पूंजी, वह मानदण्ड जिसके आधार पर कोई सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी;

(iii) आवेदक जिन्हें सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण नामंजूर करने वाला आदेश रजिस्ट्रार द्वारा भेजा जा सकेगा;

(iv) सहकारी सोसाइटी के दायित्व के स्वरूप और सीमा में परिवर्तन के लिए प्रक्रिया और शर्तें;

(v) किसी सहकारी सोसाइटी की सदस्यता के संबंध में अर्हताएं और निरर्हताएं;

(vi) वह रीति जिससे किसी सहकारी सोसाइटी की उपविधियों में किसी संशोधन के लिए या आस्तियों और दायित्वों के अन्तरण, उसके विभाजन और समामेलन के प्रस्ताव रजिस्ट्रार को अग्रेषित किये जायेंगे;

(vii) किसी सहकारी सोसाइटी की किसी बैठक के अध्यक्ष द्वारा द्वितीय या निर्णायक मत के लिए उपबंध;

(viii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी ऐसी अन्य सहकारी सोसाइटी की, जिसकी वह सदस्य है, बैठक में उसका प्रतिनिधित्व करने और उसकी ओर से मत देने के लिए अपने सदस्यों में से किसी एक की नियुक्ति;

(ix) सदस्यों का प्रत्याहरण, हटाया जाना या निष्कासन, उन्हें किये जाने वाले संदाय, भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की संपदाओं के दायित्व;

(x) ऐसे व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करने की प्रक्रिया जिसे किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसका शेयर या हित अंतरित किया जा सकेगा या उसका मूल्य संदत्त किया जा सकेगा;

(xi) व्यक्तियों और स्थानीय प्राधिकारियों का वह वर्ग जिसे किसी सोसाइटी में नाममात्र के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा; सोसाइटियों का वह वर्ग जिसमें किसी सदस्य के पति/पत्नी को किसी सहयुक्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा;

(xii) किसी हिन्दू संयुक्त कुटुम्ब के सदस्यों, और मृत सदस्यों के शेयर या हित विरासत में प्राप्त करने वाले अवयस्कों और विकृतचित्त व्यक्तियों को सम्मिलित करने के लिए प्रक्रिया और उनके अधिकारों और दायित्वों के लिए उपबंध;

(xiii) वह ढंग जिससे किसी मृत सदस्य के शेयर का मूल्य अभिनिश्चत किया जायेगा;

(xiv) उधार के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों द्वारा किये जाने वाले संदाय और अनुपालित की जाने वाली शर्तें, वह कालावधि जिसके लिए उधार दिये जा सकेंगे और वह रकम जो किसी एक व्यष्टिक सदस्य को उधार दी जा सकेगी;

(xv) रजिस्ट्रार के कार्यालय में दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतियां देने के लिए फीस का उद्ग्रहण;

(xvi) सदस्यों के रजिस्टर का, और जहां सदस्यों का दायित्व शेयरों द्वारा सीमित हो, वहां शेयरों के रजिस्टर और सदस्यों की सूची का पुष्टिकरण और अनुरक्षण;

(xvii) यह उपबंध करना कि किसी सोसाइटी की शेयर पूंजी इस प्रकार उपलब्ध होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि शेयरों का मूल्य बढ़े नहीं और आवश्यक पूंजी सोसाइटी की अपेक्षा के अनुसार उपलब्ध रहे;

(xviii) वह रीति विनियमित करना जिससे किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा शेयरों या डिबेंचरों के माध्यम से या अन्यथा निधियां जुटायी जा सकेंगी और इस प्रकार जुटायी गयी निधि की मात्रा;

(xix) किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा, विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों के पेटे या प्रतिभूति के बिना दिये जाने वाले उधारों की सीमाएं तथा उधार देने की प्रक्रिया;

(xx) उधार वापस लेने की रीति;

(xxi) किसी ऋणेत्तर सोसाइटी या ऋणेत्तर सोसाइटियों के किसी वर्ग द्वारा ऋण देने की सीमाएं;

(xxii) वह रीति जिससे किसी सोसाइटी के प्रतिनिधि साधारण निकाय का निर्वाचन किया जा सकेगा;

(xxiii) सहकारी सोसाइटी की साधारण बैठक की अध्यपेक्षा करना और वह समय जिसके भीतर ऐसी साधारण बैठक बुलायी जायेगी;

(xxiv) सदस्यों की साधारण बैठकें, ऐसी बैठकों की प्रक्रिया और ऐसी बैठकों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियां;

(xxv) सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा समिति के सदस्यों का निर्वाचन;

(xxvi) किसी समिति की सदस्यता के लिए अर्हताएं या निरर्हताएं;

(xxvii) वे शर्तें, जिनमें किसी सहकारी सोसाइटी के किसी सदस्य को मत देने के लिए निरर्हित किया जा सकेगा;

(xxviii) समिति के सदस्यों और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, निलम्बन, हटाया जाना, पदावधि और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना तथा धारा 30 के अधीन प्रशासक की नियुक्ति और समिति की बैठक की प्रक्रिया तथा समिति, प्रशासक और अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग में लायी जाने वाली शक्तियां और पालित किये जाने वाले कर्त्तव्य;

(xxix) वह रीति जिससे किसी सहकारी सोसाइटी का निर्वाचन संचालित किया जायेगा;

(xxx) ऐसे मामलों में, जिनमें किसी सोसाइटी की या ऐसी सोसाइटी की, जिसके कार्यकलापों के परिसमापन का आदेश रजिस्ट्रार द्वारा या ऐसा करने के हकदार किसी व्यक्ति द्वारा दे दिया गया हो, पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों पर कब्जा करने का प्रतिरोध किया जाता है या बाधा डाली जाती है तब, रजिस्ट्रार द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(xxxi) ऐसे मामलों में, जिनमें निधियों का दुर्विनियोग, न्यास भंग या कपट किया गया है या जिनमें यह संदेह या आशंका हो कि पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों में गड़बड़ी या नष्ट किये जाने या हटाये जाने की संभावना है, धारा 54, 55 और 56 के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा सोसाइटी की पुस्तकों, दस्तावेजों, प्रतिभूतियों, नकदी और अन्य सम्पत्तियों का कब्जा लेने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(xxxii) सोसाइटी के प्रबंधक, सचिव, लेखाकार या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की अर्हताएं तथा अनुशासन और नियंत्रण को सम्मिलित करते हुए उनकी सेवा की शर्तें;

(xxxiii) किसी सहकारी सोसाइटी के ऐसे अधिकारियों का प्रतिषेध जो सोसाइटी के साथ की संविदाओं में हितबद्ध हों;

(xxxiv) वे शर्तें जिन पर किसी सोसाइटी के पक्ष में किये गये किसी भार की तुष्टि की जायेगी और वह सीमा जिस तक और वह क्रम जिसमें भारग्रस्त सम्पत्ति उसकी तुष्टि के लिए उपयोग में ली जायेगी और धारा 39 के अधीन की जाने वाली घोषणा का प्ररूप;

(xxxv) धारा 39 के अधीन भार का युक्तियुक्त नोटिस;

(xxxvi) वह प्रक्रिया जिससे कोई सहकारी सोसाइटी अपने डूबंत ऋणों की संगणना और उनका अपलेखन करेगी;

(xxxvii) वह प्ररूप जिसमें धारा 41 के अधीन कोई करार निष्पादित किया जा सकेगा;

(xxxviii) सहकारी सोसाइटियों में सरकार की प्रत्यक्ष तथा परोक्ष साझेदारी से संबंधित मामले;

(xxxix) वह दर जिससे सहकारी सोसाइटियों द्वारा लाभांश का संदाय किया जा सकेगा;

(xl) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी वर्ष के अपने शुद्ध लाभ में से आरक्षित निधियों को अन्तरित किये जाने हेतु कालावधि, जिसके भीतर-भीतर ऐसा अन्तरण किया जायेगा;

(xli) किसी सहकारी शिक्षा और प्रशिक्षण निधि का गठन और उस निधि में किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा अपने स्वयं के लाभों में से किया जाने वाला संदाय तथा उसके विनिधान का ढंग तथा उसकी प्रक्रिया;

(xlii) किसी सहकारी सोसाइटी की निधियों के विनिधान का ढंग;

(xliii) ऐसी भविष्य निधि का अनुरक्षण और प्रशासन जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा, उसके द्वारा नियोजित अधिकारियों और कर्मचारियों के फायदे के लिए स्थापित की जाये तथा ऐसी भविष्य निधि का प्रशासन;

(xliv) किसी सहकारी सोसाइटी की आरक्षित निधि के उद्देश्य और उसके विनिधान का ढंग;

(xlv) किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन पर उसकी आरक्षित निधि के व्ययन का ढंग;

(xlvi) वह सीमा और शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए कोई सहकारी सोसाइटी निक्षेप और उधार प्राप्त कर सकेगी;

(xlvii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा गैर-सदस्यों के साथ संव्यवहार किये जाने पर निर्बंधन;

(xlviii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा उसके शेयरों के विरुद्ध उधार मंजूर किये जाने पर निर्बंधन;

(xlix) निक्षेप स्वीकार करने वाली तथा नकद ऋण देने वाली सहकारी सोसाइटियों द्वारा संधारित किये जाने वाले तरल संसाधनों का स्वरूप और स्तरमान;

(l) सहकारी सोसाइटियों से लेखापरीक्षा फीस का उद्ग्रहण;

(li) लेखापरीक्षा किये जाने की प्रक्रिया, वे मामले जिन पर लेखापरीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, वह प्ररूप जिसमें लेखा विवरण उसकी लेखापरीक्षा के लिए तैयार किया जायेगा, वे

सीमाएं जिनके भीतर-भीतर लेखापरीक्षक किसी सोसाइटी के धन संबंधी संव्यवहारों की परीक्षा कर सकेगा, लेखापरीक्षा-ज्ञापन तथा रिपोर्ट का प्ररूप;

(lii) धारा 54 के अधीन लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया;

(liii) धारा 55 के अधीन जांच करने के लिए प्रक्रिया और सिद्धांत;

(liv) जांच और निरीक्षण के व्यय के प्रभाजन तथा धारा 57 के अधीन अपचारी संप्रवर्तकों के विरुद्ध नुकसानी के निर्धारण के लिए तथा व्यय और नुकसानी की वसूली के लिए प्रक्रिया;

(lv) रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या विवादों का विनिश्चय करने वाले अन्य व्यक्ति के समक्ष कार्यवाहियों में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(lvi) वह प्ररूप जिसमें कोई विवाद रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट किया जायेगा;

(lvii) आदेशिकाओं का जारी और तामील किया जाना और उनकी तामील साबित किये जाने का ढंग;

(lviii) अधिनिर्णयों के निष्पादन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(lix) वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए किसी सहकारी सोसाइटी की आस्तियां किसी समापक में निहित होंगी और किसी सहकारी सोसाइटी के परिसमापन में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(lx) वे मामले जिनमें धारा 63 के अधीन नियुक्त किसी समापक के आदेश से अपील हो सकेगी;

(lxi) वह समय जिसके भीतर-भीतर, और वह रीति जिससे भूमि विकास बैंक धारा 78 के अधीन के फायदे लेने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को बंधक की लिखत की प्रति भेज सकेगा;

(lxii) किसी सहकारी सोसाइटी को देय या संदेय रकमों की वसूली के लिए प्रक्रिया;

(lxiii) वह रीति जिससे रजिस्ट्रार या कलक्टर धारा 88 की उप-धारा (1) के अधीन किये गये किसी आवेदन पर कार्रवाई कर सकेगा;

(lxiv) निर्णय के पूर्व कुर्की करने का ढंग;

(lxv) ऐसे दावों और आक्षेपों का अन्वेषण जो रजिस्ट्रार द्वारा की गयी कुर्की के विरुद्ध किये जायें;

(lxvi) धारा 101 के अधीन कुर्क की गयी सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(lxvii) किसी भूमि विकास बैंक को बंधकित सम्पत्ति के करस्थम् और विक्रय की प्रक्रिया;

(lxviii) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा, जिस पर अध्याय 12 लागू होता है, जारी किये गये डिबेंचरों के जारी किये जाने, मोचन, पुन: जारी किये जाने, अंतरण, प्रतिस्थापन या संपरिवर्तन की प्रक्रिया और शर्तें;

(lxix) ऐसी किसी सोसाइटी द्वारा, जिस पर अध्याय 12 लागू होता है, जारी किये गये डिबेंचरों की प्रत्याभूति के लिए मूलधन की अधिकतम रकम, ब्याज की दर और अन्य शर्तें;

(lxx) धारा 89 के अधीन विक्रय की क्रियान्विति के लिए किसी अधिकारी की अर्हताएं और नियुक्ति का ढंग और वे शक्तियां और कृत्य जिनका ऐसा अधिकारी प्रयोग कर सकेगा;

(lxxi) धारा 89 के अधीन बंधकित सम्पत्ति या विक्रय के आगमों तथा आय के लिये प्रापक की नियुक्ति, वे शर्तें जिनके अधीन वह नियुक्त किया जा सकेगा या हटाया जा सकेगा, वे शक्तियां जिनका वह प्रयोग कर सकेगा और वे कृत्य जिन्हें वह कर सकेगा और प्रबंध पर होने वाला व्यय तथा पारिश्रमिक जो वह प्राप्त कर सकेगा;

(lxxii) वह प्रक्रिया जिसके अनुसार किसी भूमि विकास बैंक द्वारा बंधककर्त्ता के विरुद्ध धारा 89 के अधीन कार्रवाई की जा सकेगी;

(lxxiii) अध्याय 12 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विक्रय के मामले में-

(क) विक्रय की उद्घोषणा तथा संचालन की प्रक्रिया और वे शर्तें जिनमें विक्रय के किसी प्रयत्न का परित्याग किया जा सकेगा;

(ख) विक्रय या प्रयतित विक्रय के आनुषंगिक व्ययों की संगणना का ढंग;

(ग) निक्षेप की प्राप्ति और विक्रय के आगमों के व्ययन की प्रक्रिया;

(घ) पुन: विक्रय के लिए प्रक्रिया जब किसी प्रयतित विक्रय का परित्याग कर दिया जाता है या क्रयधन विहित समय के भीतर-भीतर जमा नहीं कराया जाता है और ऐसे क्रेता के विरुद्ध उद्ग्रहणीय शास्ति जो क्रयधन जमा कराने में विफल रहता है;

(ङ) किसी भूमि विकास बैंक द्वारा धारा 91 के अधीन धन के व्ययन का प्रकार तथा ढंग;

(च) धारा 92 के अधीन किसी विक्रय प्रमाण-पत्र का प्ररूप;

(छ) क्रय की गयी सम्पत्ति को धारा 92 के अधीन न्यायालय द्वारा क्रेता को परिदत्त किये जाने की प्रक्रिया;

(ज) धारा 97 में निर्दिष्ट नोटिस का प्ररूप; और

(झ) ऐसे नोटिस की तामील के लिए संदेय फीस और ऐसे नोटिस के तामील कराये जाने की रीति;

(lxxiv) ऐसा समय जिसके भीतर-भीतर और ऐसी प्रक्रिया, जिसके अनुसार अध्याय 12 के अधीन स्थावर सम्पत्ति के विक्रय में किसी भूमि विकास बैंक द्वारा खरीदी गयी सम्पत्ति का बैंक द्वारा व्ययन किया जायेगा;

(lxxv) प्रत्याभूति निधियों का गठन, अनुरक्षण और उपयोग, ऐसी दर जिस पर राज्य भूमि विकास बैंक और भूमि विकास बैंक प्रत्याभूति निधि में अभिदाय करेंगे;

(lxxvi) वह रीति, जिससे धारा 103 के अधीन किसी सोसाइटी को अन्तरित किये जाने के लिए आदिष्ट सम्पत्ति या उसका कोई भाग किसी सोसाइटी को अन्तरित किया जायेगा;

(lxxvii) अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें और चयन की प्रक्रिया;

(lxxviii) अपीलें प्रस्तुत करने तथा उन्हें निपटाने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रिया;

(lxxix) इस अधिनियम या नियमों के अधीन संसूचित या प्रकाशित किये जाने के लिए अपेक्षित किसी आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय को संसूचित या प्रकाशित करने का ढंग;

(lxxx) किन्हीं भी नियमों के उल्लंघन संबंधी अपराध;

(lxxxi) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा रखी जाने वाली लेखा पुस्तकें और रजिस्टर तथा लेखे तथा पुस्तकें अभिलिखित किये जाने का निर्देश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति;

(lxxxii) किसी सहकारी सोसाइटी की पुस्तकों में की गयी प्रविष्टियों के और उसके द्वारा उसके कारबार के अनुक्रम में रखे जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियों के प्रमाणीकरण की रीति;

(lxxxiii) किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण तथा विवरणियां;

(lxxxiv) विधि व्यवसायी के रूप में उपस्थित होने वाले व्यक्तियों पर निर्बंधन;

(lxxxv) दस्तावेजों का निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियां मंजूर किये जाने के लिए किसी सहकारी सोसाइटी को संदेय फीस;

(lxxxvi) रजिस्ट्रार द्वारा हटायी गयी किसी समिति के स्थान पर नियुक्त किसी प्रशासक को संदेय पारिश्रमिक;

(lxxxvii) वे विषय जिनका विहित किया जाना इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से अपेक्षित या अनुज्ञात है या जिनके लिए नियम बनाये जा सकेंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् इसके अधीन बनाये गये समस्त नियम और विनियम उनके बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की ऐसी कुल कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, और यदि ऐसे सत्र जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या यथापूर्वोक्त उत्तरोत्तर सत्रों की समाप्ति के पूर्व, सदन नियमों या, यथास्थिति, विनियमों में कोई भी उपान्तरण करने पर सहमत हो जाता है, या यह संकल्प करता है कि कोई नियम, या, यथास्थिति, विनियम नहीं बनाये जाने चाहिएं तो ऐसे नियम, या, यथास्थिति, विनियम तत्पश्चात् ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलकरण इन नियमों या, यथास्थिति, विनियमों के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

123. Power to make rules.— (1) The State Government may, for the whole or any part of the state and for any class of co-operative societies, after previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act :

Provided that any rule may be made under this section without previous publication if the State Government considers that it should be brought into force at once.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

(i) the manner in which application for registration of a society may be made;

(ii) class of societies; minimum share capital for societies, for the purpose of registration, criteria on the basis of which a society may be registered;

(iii) the applicants to whom the order refusing the registration of co-operative society may be sent by the Registrar;

(iv) the procedure and conditions for change in the form and extent of the liability of a co-operative society;

(v) the qualifications or disqualifications relating to membership of a co-operative society;

(vi) the manner in which the proposal for an amendment of the bye-laws or for transfer of assets and liabilities, division and amalgamation of a co-operative society shall be forwarded to the Registrar;

(vii) the provision for a second or casting vote by the Chairperson of a meeting of a co-operative society;

(viii) the appointment by a co-operative society of one of its members to represent and vote on its behalf at a meeting of another co-operative society of which it is a member;

(ix) the withdrawal, removal or expulsion of members, the payments to be made to them, the liabilities of past members and the estates of deceased members;

(x) the procedure for the nomination of a person to whom the share or interest of a member on his death may be transferred or the value thereof may be paid;

(xi) the class of persons and local authorities, which may be admitted as a nominal member in a society; the class of societies, in which the spouse of a member may be admitted as an associate member;

(xii) the procedure for the admission of members of a Hindu Joint Family, and minors and persons of unsound mind inheriting the share or interest of deceased members and provision for their rights and liabilities;

(xiii) the mode in which the value of a deceased member's share shall be ascertained;

(xiv) the payments to be made and the conditions to be complied with by members applying for loans, the period for which loans may be made and the amount which may be lent to an individual member;

(xv) the inspection of documents in the Registrar's office and the levy of fee for granting certified copies of the same;

(xvi) the confirmation and maintenance of a register of members, and where the liability of members is limited by shares, of a register of shares and a list of members;

(xvii) providing that the share capital of any society shall be available in such way as may be necessary to secure that the share shall not appreciate in value and that necessary capital shall be available for the society as required;

(xviii) regulating the manner in which funds may be raised by a society or class of societies by means of shares or debentures or otherwise and the quantum of funds so raised;

(xix) the limits for loans to be granted by a society or class of societies against different classes of securities or without security and the procedure for granting loans;

(xx) manner of recalling a loan;

(xxi) the limits for granting credit by a non-credit society or a class of non credit societies;

(xxii) the manner in which the Delegate General Body of a society may be elected;

(xxiii) the requisitioning of a general meeting of co-operative society; and the time within which a general meeting shall be called;

(xxiv) general meetings of the members, the procedure at such meetings and the powers to be exercised by such meetings;

(xxv) the election of members of committee by the general body of a co-operative society;

(xxvi) the qualifications or disqualifications for membership of a committee;

(xxvii) the conditions in which a member of a co-operative society may be disqualified from voting;

(xxviii) the appointment, suspension, removal, term of office and filling of casual vacancies of the members of the committee and other officers and for the appointment of Administrator under section 30 and the procedure at meeting of the committee and the powers to be exercised and the duties to be performed by the committee, Administrator and other officers;

(xxix) the manner in which election of a co-operation society shall be conducted;

(xxx) the procedure to be adopted by the Registrar in cases where the taking of possession of books, documents, securities, cash and other properties of a society or of a society the affairs of which have been ordered to be wound up by the Registrar or by a person entitled to the same is resisted or obstructed;

(xxxi) the procedure to be adopted by taking possession of books, documents, securities, cash and other property of a society by a person acting under sections 54, 55 and 56 in cases where misappropriation of funds, breach of trust, or fraud has been committed or where it is suspected or apprehended that the books, documents, securities, cash and other properties are likely to be tampered with or destroyed or removed;

(xxxii) the qualifications of a Manager, Secretary, Accountant or any other officer or an employee of the society and the conditions of their service including discipline and control;

(xxxiii) the prohibition against officers of a co-operative society, being interested in contracts with the society;

(xxxiv) the conditions on which any charge in favour of a society shall be satisfied and the extent to which and the order in which the property

to the charge shall be used in its satisfaction; and the form of declaration to be made under section 39;

(xxxv) reasonable notice of the charge under section 39;

(xxxvi) the procedure by which a co-operative society shall calculate and write- off bad debts;

(xxxvii) the form in which an agreement under section 41 may be executed;

(xxxviii) the matters connected with the direct and indirect partnership of the Government in co-operative societies;

(xxxix) the rate at which dividend may be paid by co-operative societies;

(xl) the period within which a co-operative society shall, out of its net profit in a year, transfer the amount to the reserve fund;

(xli) the constitution of a Co-operative Education and Training Fund and the payment to be made to that fund by a co-operative society out of its own profits and the mode of its investment and the preocedure thereof;

(xlii) the mode of investment of funds of a co-operative society;

(xliii) maintenance and administration of the Provident Fund which may be established by a co-operative society for the benefit of officers and servants employed by it and for the administration of such Provident Fund;

(xliv) the objects of the Reserve Fund of a co-operative society and the mode of its investment;

(xlv) the mode of disposal of Reserve Fund of a co-operative society on its winding up;

(xlvi) the extent and conditions subject to which a co-operative society may receive deposits and loans;

(xlvii) the restrictions on transactions by a co-operative society with non-members;

(xlviii) the restrictions on grant of loans by a co-operative society against its shares;

(xlix) the forms and standards of fluid resources to be maintained by co-operative societies accepting deposits and granting cash credits;

(l) the levy of audit fees on co-operative societies;

(li) the procedure for conducting audit, the matters on which the auditor shall submit a report, the form in which the statement of account shall be prepared for his audit, the limits within which the auditor may examine the monetary transactions of a society, the form of audit memorandum and report;

(lii) the procedure for appointment of auditors under section 54;

(liii) the procedure and principles for the conduct of inquiry under section 55;

(liv) the procedure for apportioning the cost of inquiry and inspection and for assessing damages against delinquent promoters under section 57 and for recovery of cost and damages;

(lv) the procedure to be followed in proceedings before the Registrar, Arbitrator or other person deciding disputes;

(lvi) the form in which a dispute shall be referred to the Registrar;

(lvii) the issue and service of processes and the mode of proving of service thereof;

(lviii) the procedure to be followed in execution of awards;

(lix) the conditions subject to which assets of a co-operative society shall vest in a Liquidator and the procedure to be adopted in winding up of a co-operative society;

(lx) the matters in which an appeal shall lie from the order of a Liquidator appointed under section 63;

(lxi) the time within which, and the manner in which Land Development Bank may send a copy of the instrument of mortgage to the Registering Officer in order to avail the benefit under section 78;

(lxii) the procedure for recovery of amounts due or payable to a co-operative society;

(lxiii) the manner, in which the Registrar or Collector may take action on an application made under sub-section (1) of section 88;

(lxiv) the mode of making attachment before judgement;

(lxv) the investigation of claims and objections that may be preferred against any attachment effected by the Registrar;

(lxvi) the procedure to be followed for the custody of property attached under section 101;

(lxvii) the procedure for the distraint and sale of property mortgaged to a Land Development Bank;

(lxviii) the procedure and conditions for the issue, redemption, re-issue, transfer, replacement or conversion of debentures issued by a society to which Chapter XII is applicable;

(lxix) the maximum amount of principal, the rate of interest and other conditions for the guarantee of debentures issued by a society to which Chapter XII is applicable;

(lxx) the qualifications and methods of appointment of an officer to effect sale under section 89 and the powers and functions which such an officer may exercise;

(lxxi) the appointment of a receiver of the proceeds and income of mortgaged property or sale under section 89, the conditions in which he

may be appointed or removed, the powers and functions which he may exercise and the expenses of management and the remuneration which he may receive;

(lxxii) the procedure according to which action may be taken by a Land Development Bank against the mortgager under section 89;

(lxxiii) in case of sale of immovable property under Chapter XII-

(a) the procedure for proclamation and conduct of sale and the conditions on which an attempt of sale may be abandoned;

(b) the method of calculating the expenses incidental to the sale or attempted sale;

(c) the procedure for the receipt of deposit and disposal of the proceeds of sale;

(d)) the procedure for resale if an attempted sale is abandoned or the purchase money is not deposited within the prescribed time and the penalty to be levied against the purchaser who fails so to deposit the purchase money;

(e) the form and method of disposal of money by a Land Development Bank under section 91;

(f) the form of a sale certificate under section 92;

(g) the procedure for delivery by the court of the property purchased, to the purchaser under section 92;

(h) the form of the notice referred to in section 97; and

(i) the fee payable for the service of such notice and the manner of serving such notice;

(lxxiv) the time within which and the procedure according to which property purchased by a Land Development Bank at a sale of immovable property under Chapter XII shall be disposed of by the bank;

(lxxv) constitution, maintenance and utilisation of Guarantee Funds; the rate

at which the State Land Development Bank and Land Development Banks shall contribute to the Guarantee Funds;

(lxxvi) the manner in which the property or any portion thereof, ordered to be transferred to a society under section 103, shall be transferred to a society;

(lxxvii) the condition of service and procedure for selection of chairman and members of the Tribunal;

(lxxviii) the procedure to be followed in presenting and disposing of appeals;

(lxxix) the method of communicating or publishing any order, decision or award required to be communicated or published under this Act or the rules;

(lxxx) offences for contravening any of the rules;

(lxxxi) the account books and registers to be kept by a co-operative society and power of Registrar to direct the accounts and books to be written up;

(lxxxii) the manner of certification of entries in the books of a co-operative society and of copies of documents kept by it in the course of its business;

(lxxxiii) the statements and returns to be furnished by a co-operative society to the Registrar;

(lxxxiv) the restrictions on persons appearing as legal practioners;

(lxxxv) the inspection of documents and the fees to be paid to a co-operative society for granting certified copies thereof;

(lxxxvi) the remuneration payable to an Administrator appointed in place of a committee removed by the Registrar;

(lxxxvii) the matters expressly required or allowed by this Act to be prescribed or for which rules may be made.

(3) All rules and regulations made under this Act after its commencement, shall be laid, as soon as may be after they are made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expriy of the session in which they are so laid or the successive sessions as aforesaid, the House agrees in making any modification in the rules or regulations, as the case may be, or resolves that the rules or regulations, as the case may be, should not be made, the rules or regulations, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under these rules or regulations, as the case may be.

124. राज्य के बाहर सोसाइटियों की शाखाएं आदि— (1) रजिस्ट्रार की पूर्वानुमति से ही कोई सोसाइटी, राजस्थान राज्य के बाहर अपनी कोई शाखा या अपने कारबार का कोई स्थान स्थापित कर सकेगी अथवा किसी अन्य राज्य में किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी राजस्थान राज्य में अपनी कोई शाखा या कारबार का कोई स्थान स्थापित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण :— इस धारा के प्रयोजनार्थ 'रजिस्ट्रार' के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी नहीं आयेंगे, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं।

(2) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, जो किसी भी अन्य राज्य में किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है और पूर्ववर्ती उप-धारा के अधीन जिसे राजस्थान में कोई शाखा या कारबार का स्थान स्थापित करने की अनुमति दी गयी है या जिसकी कोई शाखा या कारबार का स्थान इस अधिनियम के प्रारंभ के समय राजस्थान में है, ऐसी शाखा या कारबार का स्थान स्थापित करने से या, यथास्थिति, इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन मास के भीतर-भीतर, रजिस्ट्रार को उपविधियों और संशोधनों की प्रमाणित प्रति, और यदि वे अंग्रेजी भाषा में नहीं हैं तो अंग्रेजी या हिन्दी में उनका प्रमाणित अनुवाद प्रस्तुत करेगी और रजिस्ट्रार को ऐसी विवरणियां और सूचनाओं के अतिरिक्त जो उस राज्य के रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जायें, जिसमें ऐसी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत है, ऐसी विवरणियां और सूचनाएं रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत ऐसी ही सोसाइटियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है।

124. Branches etc. of society outside the State— (1) A society may open a branch or a place of business outside the State of Rajasthan or a co-operative society registered under any law in any other State may open a branch or place of business in the State of Rajasthan, with the prior permission of the Registrar.

Explanation :- For the purpose of this section 'Registrar' shall not include officers on whom powers of the Registrar have been conferred under sub-section (2) of section 4.

(2) Every co-operative society registered under any law in any other State, and permitted to open a branch or place of business in Rajasthan under the foregoing sub-section or which has a branch or place of business in Rajasthan at the commencement of this Act, shall, within three months from the opening of such branch or place of business or from the commencement of this Act, as the case may be, file with the Registrar, a certified copy of the bye-laws and amendments and, if these are not written in English language, a certified translation thereof in English or Hindi, and shall submit to the Registrar such returns and information as are submitted by similar societies registered under this Act in addition to those which may be submitted to the Registrar of the State where such society is registered.

125. कतिपय संकल्पों को विखंडित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति— (1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सहकारी सोसाइटी या उसकी समिति की बैठक में पारित कोई संकल्प सोसाइटी के उद्देश्यों के विरुद्ध है या उस सोसाइटी या उसके समस्त सदस्यों के हितों के प्रतिकूल है या सोसाइटी की शक्तियों के आधिक्य में है तो, रजिस्ट्रार, ऐसे संकल्प की क्रियान्विति को अन्तरिम रूप से स्थगित करते हुए, उसे विखण्डित किया जाना प्रस्तावित कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार, ऐसे मामले में, जहां उप-धारा (1) के अधीन किसी संकल्प के निष्पादन पर उसने अन्तरिम रूप से रोक लगा दी हो, पैंतालीस दिवस की कालावधि के भीतर-भीतर विखण्डन का प्रस्ताव अधिकरण को विचारार्थ भेजेगा।

(3) अधिकरण सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् रजिस्ट्रार के प्रस्ताव पर विनिश्चय करेगा और उस पर अन्तिम आदेश पारित करेगा।

125. Power of Registrar to rescind certain resolution.— (1) If in the opinion of the Registrar, any resolution passed at the meeting of any co-operative society or committee thereof is opposed to the objects of the society or is prejudicial to the interests of the society or its members at large, or is in excess of the powers of the society, the Registrar may, staying execution of the resolution interimly, propose to rescind the resolution.

(2) In case, where the Registrar has interimly stayed execution of any resolution

under sub-section (1), he shall, within a period of forty five days, send the proposal of rescinding the resolution to the Tribunal for consideration.

(3) The tribunal shall, after giving the society an opportunity of being heard, decide upon the proposal of the Registrar and pass its final order.

126. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति— (1) यदि इस अधिनियम के या किसी विद्यमान विधि के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो सरकार, जैसा अवसर के अनुसार अपेक्षित हो, आदेश द्वारा, कोई भी ऐसी बात कर सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन आदेश द्वारा किये गये उपबंधों का प्रभाव इस प्रकार होगा मानो वे इस अधिनियम में अधिनियमित किये गये हों और ऐसा कोई भी आदेश किसी भी ऐसी भूतलक्षी तारीख से किया जा सकेगा जो इस अधिनियम का प्रारम्भ होने की तारीख से पहले की न हो :

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी अधिसूचना के ऐसे भाग के कारण, जिसे भूतलक्षी प्रभाव दिया गया हो, अधिसूचना के जारी होने की तारीख के पूर्व के किसी अपराध का दोषी नहीं समझा जायेगा।

126. Power to remove difficulties.— (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act or of any existing law, the Government may, as occasion may require, by order, do anything, which appears to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) The provisions made by order under sub-section (1) shall have effect as if enacted in this Act, and any such order may be made so as to be retrospective to any date not earlier than the date of the commencement of this Act:

Provided that no person shall be deemed to be guilty of an offence by reason of so much of any notification as makes any provision thereof retrospective to any date before the making thereof.

127. निरसन और व्यावृत्तियां— (1) राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1965 (1965

का अधिनियम सं. 13) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निरसन का प्रभाव इस प्रकार निरसित अधिनियम के पूर्व प्रवर्तन पर नहीं पड़ेगा और निरसित अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन की गयी कोई बात या कोई कार्रवाई या की गयी समझी गयी बात या कार्रवाई (जिसमें की गयी कोई नियुक्ति या प्रत्यायोजन, फाइल किया गया आवेदन या अन्य दस्तावेज, दिया गया कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, निष्पादित करार, जारी की गयी अधिसूचना, आदेश, निदेश या नोटिस, बनाये गये और रजिस्ट्रीकृत विनियम, प्ररूप या उपविधि, बनाया गया या बनाया गया समझा गया नियम या किसी रजिस्ट्रार, मध्यस्थ, समापक या अन्य अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष संस्थित कार्यवाही सम्मिलित है) जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन की गयी समझी जायेगी और तब तक प्रवृत्त रहेगी जब तक इस अधिनियम के अधीन की गयी किसी कार्यवाही द्वारा अतिष्ठित न कर दी जाये।

(3) तदनुसार, निरसित अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गयी समस्त सोसाइटियां, जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम का प्रारंभ होने के समय प्रवृत्त है, ऐसा प्रारंभ होने पर इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की हुई समझी जायेंगी, और ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व किसी रजिस्ट्रार, मध्यस्थ, समापक या अन्य अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष निरसित अधिनियम के उपबंधों के अधीन लंबित समस्त कार्यवाहियां, जहां आवश्यक हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार, मध्यस्थ, समापक या अन्य तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति को, और यदि ऐसा कोई अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति विद्यमान न हो या यदि तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के संबंध में कोई संदेह हो तो, ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति को, जिसे राज्य सरकार पदाभिहित करे, अन्तरित हो जायेंगी तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के समक्ष इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार चालू रखी जायेंगी और निपटायी जायेंगी।

(4) निरसित अधिनियम के या उसके किन्हीं उपबंधों के या तदधीन किन्हीं कृत्यों से न्यस्त किसी अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के प्रति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में या किसी लिखत या दस्तावेज में, कोई निर्देश, जहां आवश्यक हो, इस अधिनियम के या इसके सुसंगत उपबंधों के या इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहे तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या व्यक्ति के प्रति निर्देश समझा जायेगा, और तत्समान अधिकारी, प्राधिकारी या, यथास्थिति, व्यक्ति के कृत्य वे होंगे जो निरसित अधिनियम के अधीन या लिखतों या दस्तावेजों के अधीन हैं और वह उनका क्रियान्वयन करेगा।

127. Repeal and Savings.— (1) The Rajasthan Co-operative Societies Act, 1965 (Act No. 13 of 1965) is hereby repealed.

(2) The repeal under sub-section (1) shall not affect the previous operation of the Act so repealed and anything done or action taken or deemed to have been done

or taken (including any appointment or delegation made, application or other document filed, certificate of registration granted, agreements executed, notification, order, direction or notice issued, regulation, form or bye-law framed and registered, rule made or deemed to be made or proceeding instituted before any Registrar, Arbitrator, Liquidator, or other officer, authority or person) by or under the provisions of the repealed Act shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act, and shall continue in force unless and until superseded by anything done or any action taken under this Act.

(3) Accordingly, all societies registered or deemed to be registered under the repealed Act, the registration of which is in force at the commencement of this Act, shall on such commencement be deemed to be registered under this Act; and all proceedings pending immediately before such commencement before any Registrar, Arbitrator, Liquidator or other officer, authority or person under the provisions of the repealed Act shall stand transferred, where necessary, to the Registrar, Arbitrator, Liquidator or other corresponding officer, authority or person under this Act, and if no such officer, authority or person exists or if there be a doubt as to the corresponding officer, authority or person, to such officer, authority or person as the State Government may designate and shall be continued and disposed of before such officer, authority or person in accordance with the provisions of this Act.

(4) Any reference to the repealed Act or to any provisions thereof or to any officer, authority or person entrusted with any functions thereunder, in any law for the time being in force or in any instrument or document, shall be construed, where necessary, as a reference to this Act or its relevant provisions or the corresponding officer, authority or person functioning under this Act, and the corresponding officer, authority or person, as the case may be, shall have and exercise the functions under the repealed Act or under the instruments or documents.

❑ ❑